एम.ए.सी.पी. संख्या १८२/२०१९
बब्लू उर्फ मोहसिन पुत्र शमीउद्दीन उम्र लगभग २७ वर्ष नि. शेखों का मुहल्ला जतारा थाना व तहसील जतारा जिला टीकमगढ़, म.प्र.

-----------याची

प्रति

१. मधुसूदन गुप्ता पुत्र श्री राजेश्वर गुप्ता नि. प्रज्ञा सदन दतिया रोड इंदरगढ़ जिला दतिया म.प्र.
..........मालिक इण्डिका कार सं. एम.पी. ३२सी ०५०९
२. राजेश कुमार पटवा पुत्र श्री एल.एल. पटवा नि. ररूआ जीवन तह. सेवड़ा जिला दतिया म.प्र.
..........चालक इण्डिका कार सं. एम.पी. ३२सी ०५०९
३. नेशनल इश्योरेन्स क०लि०दतिया म.प्र. जरिऐ शाखा प्रबन्धक इलाइट के पीछे नेशनल इंश्योरन्स कंम्पनी सिविल लाइन जिला झाँसी
......बीमाकर्ता इण्डिका कार सं. एम.पी. ३२सी ०५०९
---------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री महेन्द्र सिंह राजावत
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री राजेन्द्र कुमार रावत
विपक्षी सं. ३के अधिवक्ता- श्री एस.सी. गुप्ता

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याची व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये।

याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २९बी पर याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २९बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया गया। २९बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ६०,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २९बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा २९बी में दर्शित कुल ६०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २९बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २९बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २९बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ६०,००० (साठ हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दे। धनराशि अंतरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याची जरिए आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा ।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:51:29 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal Jhansi